(1)

फर्द अहकाम

नियम (26)

अज अदालत–सहायक कलेक्टर / ~~उपखण्ड अधिकारी~~, बमुकाम– भीनमाल

~~वादी~~/प्रार्थी–
केलीदेवी w/o राजूराम
पुरोहित नि. पुनासा
तह. भीनमाल

बनाम

~~प्रतिवादी~~/अप्रार्थी–
हरचंद S/o आसाराम
पुरोहित नि. पुनासा
तह. भीनमाल (J.)

किस्म मुकदमा – राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/ .... , नंबर– 02/1/2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुई
27/4/15	प्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता श्री भगवानाराम एडवोकेट द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा धारा [illegible] विरुद्ध ~~प्रतिवादीगण~~/अप्रार्थीगण पेश किया गया हैं जो दर्ज रजिस्टर हो । ~~प्रतिवादीगण~~/अप्रार्थीगण जरिए नोटिस तलब होकर मिशल आयंदा तारीख 25/5/2015 को पेश हो । सहायक कलेक्टर, भीनमाल	नोटिस जारी [illegible] 27/4/15
21/5/15	प्रार्थीया उपस्थित। राज्य प्रबन्ध राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट पुनासा आयदान के बाद प्रस्तुत हुआ। प्रार्थीया उपस्थित [illegible] पक्षकारान कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। [illegible] उचित तारीख 25/5/2015 को पेश हो। सहायक कलेक्टर, भीनमाल	निशान केली

Scanned by CamScanner

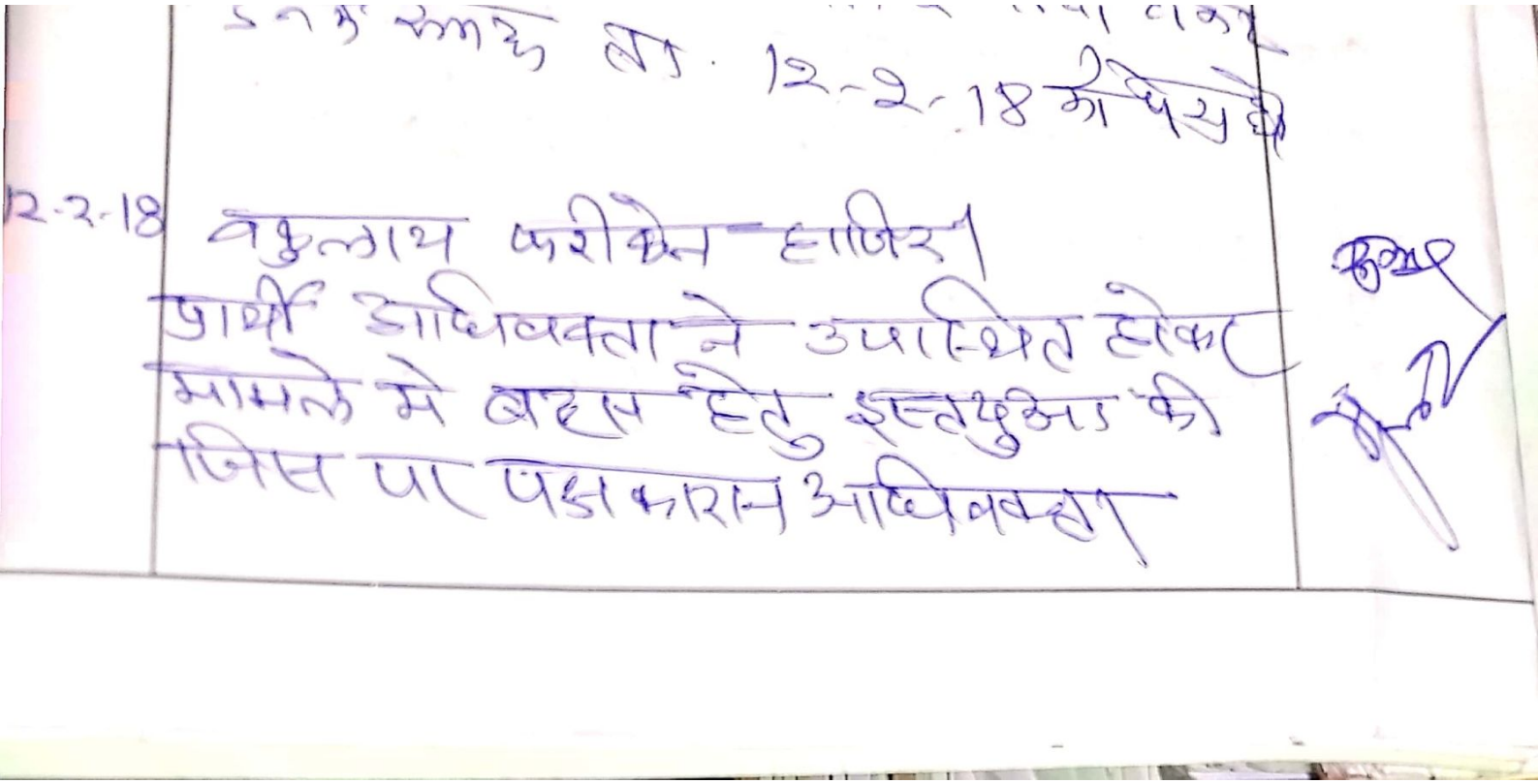

	[illegible] ता. 12-2-18 को पेश हो
12-2-18	वकुलाय फरीकैन हाजिर। प्रार्थी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर मामले मे बहस हेतु इल्तवा की जिस पर पक्षकारान अधिवक्ता

Scanned by CamScanner

को सुना गया। प्रार्थिया वादग्रस्त आराजी मे सह खातेदार दर्ज है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस मे बताया कि अप्रार्थी नं 5 की आराजी मे उसके सम्पुर्ण हिस्से का नामान्तरकरण गलत तरीके से भरा गया है। तथा प्रार्थिया बटवारा करने के बाद ही अपने खाते मे आराजी प्राप्त करने की अधिकारीणी है। हमने प्रकरण का अवलोकन किया। वादग्रस्त सामलाती आराजी है जिस बाबत एक वाद न्यायालय हाजा मे विचाराधीन है जो साक्ष्य दस्तावेजो तनकीयात पश्चात विधि सम्मत निर्णय पारित हो सकेगा। ऐसी स्थिति मे सामलाती आराजी होने से प्रथम दृष्टया मामला अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थिया के पक्ष मे नही पाया जाता है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर
भीनमाल